पत्र संख्या-स्था0-6 सामान्य दिव्यांगजन(135) भाग-2/2025-2026/ 2679 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 22 अगस्त, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश((जोन-गाजियाबाद-द्वितीय, आगरा, अलीगढ,
बरेली, वाराणसी-द्वितीय, सहारनपुर व मेरठ को छोड़कर)।

विषय:-समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित" बनाये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य कर अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-408/11-04-2025 दिनांक 14.08.2025(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1/1048244/2025/65-2013/2/2019 दिनांक-06.08.2025 की प्रति संलग्न करते हुए पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने तथा संलग्न विवरण पत्र की सूचना अपडेट/पूर्ण करते हुए अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्यालय के पत्र संख्या-स्था0-6-सामान्य दिव्यांगजन(135) भाग-2/2025-26/1374/राज्य कर दिनांक 18.06.2025 द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन कितने शासकीय भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाया जा चुका एवं कितने को बनाया जाना अवशेष के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी जिसके क्रम में आप द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी थी ।

अत: शासन के उक्त पत्र दिनांक 14.08.2025 के साथ संलग्न प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1/1048244/2025/65-2013/2/2019 दिनांक-06.08.2025 की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि पत्र में की अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अद्यतन सूचना मुख्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक:- विभागीय वेबसाइड पर अपलोड ।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 22-08-2025
12:24:16

(धनञ्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अपर आयुक्त, राज्य कर, जोन-नोएडा, लखनऊ(प्रथम) एवं कानपुर(प्रथम) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अद्यतन सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान गोमती नगर, लखनऊ ।
3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

संलग्नक:- विभागीय वेबसाइड पर अपलोड ।

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 22-08-2025
17:53:38

(रवि शेखर सिंह)
संयुक्त आयुक्त(स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

सं0– 408 / 11–4–2025

प्रेषक,

रघुवीर प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2025

विषय– समस्त सार्वजनिक /शासकीय भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधा रहित बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1/1048244/2025/65–2013/2/2019, दिनॉक 06.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र दिनॉक 06.08.2025 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने तथा संलग्न विवरण पत्र की सूचना अपडेट/पूर्ण करते हुए अद्यतन सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(रघुवीर प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

अपर आयुक्त (प्रशा)
14-8-25

297

अनुलग्नक-2

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-I/1048244 /2025/65-2013/2/2019

प्रेषक,

सुभाष चन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 06 अगस्त 2025

विषयः-समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित" बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016" की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 निर्गत की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा-44 एवं 45 के अन्तर्गत भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में निम्न व्यवस्थायें दी गयी हैं:-

धारा-44 (1) No establishment shall be granted permission to build any structure if the building plan does not adhere to the rules formulated by the Central Government under section 40.

(2) No establishment shall be issued a certificate of completion or allowed to take occupation of a building unless it has adhered to the rules formulated by the Central Government.

धारा-45 (1) All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification of such rules:

Provided that the Central Government may grant extension of time to the States on a case to case basis for adherence to this provision depending on their state of preparedness and other related parameters.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritization, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centers, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops.

2. उक्त प्राविधानों के तहत भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बाधारहित बनाये जाने के लिये विभागीय स्रोतों से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने एवं भविष्य में जब भी किसी शासकीय भवन का नव निर्माण कराया जाये, तो उसमें दिव्यांगजन हितैषी प्राविधान समावेशित हों, की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की ओर से निर्देश शासनादेश संख्या-1936/65-2-2018-41 (विविध)/2018 दिनांक 04.10.2018 निर्गत किया गया है।

3. यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिये सभी भवनों में पहुंच हेतु सुगम्य एवं बाधारहित वातावरण बनाये

(कृतिका ज्योत्स्ना)
विशेष सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

([illegible])
संयुक्त सचिव,
राज्य कर विभाग,
[illegible] शासन।

जाने के लिये "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility In India, 2021" निर्गत की गयी है, जिसमें भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के बारे में विस्तार मे निर्देश दिये गये हैं। उक्त गाइड लाइन CPWD व NIUA website (cpwd.gov.in and niua.org) पर उपलब्ध हैं।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2018, 18 दिसम्बर, 2020, 15 जनवरी, 2021, 02 फरवरी, 2021, 22 जून, 2021, 04 मार्च, 2022, 28.07.2022, 06.02.2023, 03.04.2023, 23.05.2023, 28.11.2023 एवं पत्र दिनांक 13.05.2025 तथा पत्र दिनांक 28.05.2025 में दिये गये प्राविधानों के तहत पूर्व से निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के लिये विभागीय बजट स्रोतों से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें। आपके विभाग में भविष्य में होने वाले नवनिर्माण में दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों को अवश्य शामिल किया जाय।

5. यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों से अद्यतन प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक शासकीय भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने संबंधी एक संकलित विवरण तैयार किया गया है जो आपके संज्ञानार्थ संलग्न कर भेजा जा रहा है। अनेक विभागों द्वारा अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कई विभागों की सूचना में कुछ विसंगतियाँ प्रतीत हो रही हैं।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कृपया संलग्न विवरण-पत्र की सूचना अपडेट/पूर्ण करते हुए अद्यतन सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त |

भवदीय,

Digitally signed by SUBHASH CHAND SHARMA
Date: 05-08-2025 18:41:38

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

तसंख्या/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक

सार्वजनिक भवनों के दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने की अद्यतन स्थिति

क्र.सं.	विभाग का नाम	दिव्यांगजन हितैषी बनाये गये भवन	दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने हेतु अवशेष भवन	कुल भवन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	271	07	278	-
2	औद्योगिक विकास विभाग	360	79	439	-
3	श्रम विभाग	78	96	174	-
4	राजस्व विभाग	379	56	435	-
5	गृह विभाग	407	1798	2,205	-
6	पंचायतीराज विभाग	13159	44577	57,736	-
7	लोक निर्माण विभाग	455	36	491	-
8	ग्राम्य विकास विभाग	795	174	969	-
9	नगर विकास विभाग	664	98	762	-
10	अतिरिक्त ऊर्जा, स्रोत विभाग	01	00	01	-
11	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	18	00	18	-
12	न्याय विभाग	01	00	01	-
13	युवा कल्याण विभाग	01	00	01	-
14	सहकारिता विभाग	1783	4815	6598	-
15	नागरिक सुरक्षा विभाग	17	12	29	-
16	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	147	70	217	-
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	229	73	302	-
18	चिकित्सा शिक्षा विभाग	29	01	30	
19	राज्य कर विभाग	34	35	69	-
20	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	01	0	01	-
21	भाषा विभाग	04	0	04	-
22	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय (संबंधित विभाग-वित्त विभाग)	01	0	01	-
23	कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, विभुति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ (संबंधित विभाग-ऊर्जा विभाग)	01 (मुख्यालय लखनऊ)	0	01	-
24	कृषि एवं कृषि विपणन विभाग	0	0	0	शून्य सूचना प्राप्त।
25	मुख्यमंत्री कार्यालय	0	0	0	शून्य सूचना प्राप्त।
26	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग	0	0	0	शून्य सूचना प्राप्त।
27	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0	0	0	शून्य सूचना प्राप्त।
28	अन्य विभाग	0	0	0	सूचना अप्राप्त
	योग	18,835	51,927	70,762	-

wd: Rajyakar-4

commissioner commercial tax < cctup2013@gmail.com >
Thu, 14 Aug 2025 5:28:21 PM +0530

To "cta3comhqlu-up"<cta3comhqlu-up@nic.in>

---------- Forwarded message ---------
From: **राज्य कर अनुभाग-4** <rajyakar4@gmail.com>
Date: Thu, Aug 14, 2025 at 4:54 PM
Subject: Rajyakar-4
To: <cctup2013@gmail.com>

1 Attachment(s)

408.pdf
215.5 KB